दिनांक–27.05.2025 को पूर्णियां एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिलों के जिला गजेटियरों एवं गजेटियर–कम– एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार की उपयोगिता की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

पूर्णियां एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिलों के **"जिला गजेटियरों"** एवं **"गजेटियर–कम– एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार"** की उपयोगिता की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 27.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजे Hybrid Mode के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा निम्नांकित निदेश/सुझाव प्राप्त हुए हैं :–

1. पूर्णियां एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिलों यथा :– पूर्णियां, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज तथा सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के जिला गजेटियरों के पाण्डुलिपि निर्माण के संबंध में तथ्यों एवं आकड़ों के संकलन में सहयोग हेतु सभी विभागों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

2. संबंधित जिलों के जिला, गजेटियरों के पाण्डुलिपि निर्माण हेतु सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन तथा सुझाव के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति"** का गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ। उक्त समिति में सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी एवं जिला में स्थित भारत सरकार के संबंधित संस्थानों के अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर समाहर्त्ता (राजस्व) नोडल पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त जिलों के पाण्डुलिपि निर्माण हेतु विभाग द्वारा Institute for Human development (IHD), New Delhi को कार्यादेश दिया गया है। IHD के निदेशक, प्रो0 अलख नारायण शर्मा द्वारा पाण्डुलिपि निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी। प्रो0 शर्मा के अनुरोध के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों के संकलन में सहयोग हेतु जिला में दो स्तर की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है। पहली बैंठक जिलास्तरीय विभिन्न अधिकारियों के साथ एवं दूसरी बैठक स्वयंसेवी संस्थाओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों, लोकपरम्परा एवं कला से संबद्ध ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के साथ करने का निदेश दिया गया। विभाग के स्तर पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उक्त कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। IHD के गजेटियर प्रतिनिधियों को मुख्यालय एवं जिला प्रवासन के दौरान भुगतान के आधार पर उनके आवासन सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाय।

4. पाण्डुलिपियों की प्रमाणिकता एवं सटीकता हेतु स्थानीय अधिकारी सरकारी दस्तावेजों/ अभिलेखों से तथ्यों के संकलन में मदद करेंगे।

5. उक्त जिलों के जिला गजेटियरों की पाण्डुलिपि तैयार कर इसे एक वर्ष के अंदर प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

6. "गजेटियर–कम– एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार" पुस्तक की उपयोगिता की समीक्षा के दौरान स्टडी टुडे के निदेशक, श्री अजीत कुमार द्वारा उक्त **"गजेटियर –सह– एटलस"** का पी0पी0टी0 प्रस्तुत किया गया एवं पुस्तक की उपयोगिता को दर्शाया गया।

7. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पुस्तक की विशेषताओं के साथ इसकी उपयोगिता एवं विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा नीति निर्माण में होने वाले लाभ के विषय में मुख्य सचिव, बिहार तथा सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक एवं सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया। पुस्तक से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर एवं शंकाओं का समाधान अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला का विशेष मानचित्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी संबंधित को निदेशित किया गया कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने में इस पुस्तक का उपयोग अधिक–से–अधिक किया जाय। साथ ही बाढ़ प्रबंधन में भी इसकी उपयोगिता को रेखांकित किया गया। समाहर्त्ता, लखीसराय के अनुरोध के आलोक में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला को उनकी आवश्यकतानुसार एटलस तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

9. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में चिन्हित भूमिगत जल स्रोतों की कमी वाले स्थानों में जल स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय अधिकारियों को निदेशित करने की योजना पर कार्य करने का निदेश दिया गया। इस हेतु ग्राम एवं पंचायतवार जल स्रोतों से संबंधित मानचित्र (एटलस) प्रदेश के सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

10. तालाबों के दस्तावेजीकरण हेतु उन्हें (UID No) प्रदान करने के विषय पर बैठक में चर्चा हुई। अतिक्रमित जल स्रोतों को तीव्र गति से अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु एवं उनके संरक्षण के लिए सभी सरकारी तालाबों को एक अद्वितीय विशिष्ट पहचान संख्या (UID No) प्रदान करने का निदेश दिया गया।

11. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संदर्भित **"गजेटियर–कम–एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार"** पुस्तक में प्रयुक्त विभिन्न मानकों का समायोजन PM गति शक्ति पोर्टल के कुछ उपयोगी लेयरों को आगामी अंचल स्तरीय एटलस में समायोजित करने का निदेश दिया गया, ताकि इसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।

12. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा तालाबों का एक **"डाटा मोबाईल एप"** तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसका प्रयोग स्थानीय अधिकारी के साथ–साथ आमलोग कर सके। उनके स्तर से इसके लिए तत्काल **एक पायलट प्रोजेक्ट** की शुरूआत करने का भी निदेश दिया गया।

30/5/25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक 727(10) दिनांक 03/8/25

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, बिहार एवं सभी संबंधित जिलाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2G:\D\Gazeetter\2025\Report\Proceeding.docx

बिहार सरकार
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

ज्ञापांक–10/सम0 (मंत्रि0सचि0वि0)–77/2024– 727 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/6/25

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (मंत्रि0सचि0वि0)–77/2024– 727 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/6/25

प्रतिलिपि– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/तीनों निदेशालय/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (मंत्रि0सचि0वि0)–77/2024– 727 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/06/25

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी तथा सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता (राजस्व), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (मंत्रि0सचि0वि0)–77/2024– 727 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/6/25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।